

पश्चिम मध्य रेलवे
West Central Railway

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबंधक
सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना
निशातपुरा, भोपाल-462010
दिनांक:-21.01.2020

सडिपुका/भो/भर्ती/प्रशिक्षण/व्य.प्र.भर्ती/2019-20

अधिसूचना(क्रमांक-01/2020)

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) की भर्ती (सत्र:-2019-2020)

opening date of online application	closing date of online application
27.01.2020	26.02.2020

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे, सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, भोपाल में वर्ष 2019-2020 के लिए 200 ट्रेड अप्रेंटिसों के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु एम.पी. ऑनलाईन पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तारीख तक आवेदन करें।

- अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवाईज सीटों की संख्या एवं आवश्यक योग्यता निम्नानुसार होगी-

ट्रेड का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (अधिसूचना जारी दिनांक 21.01.2020 को)	आरक्षित सीटों की संख्या					
		कुल सीटों की संख्या ट्रेड अनुसार	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.वर्ग	EWS
फिटर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा फिटर व्यवसाय में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affiliated to NCVT/SCVT)	50	22	07	03	13	05
वेल्डर (गैस एंड इलेक्ट्रिक)	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा वेल्डर(Gas & Electric) व्यवसाय में आई.टी.आई. उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT)	20	10	03	01	05	01
इलेक्ट्रीशियन	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आई.टी.आई. उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT)	60	27	08	04	16	05

21/1/2020
1

कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	एवं	निर्धारित व्यवसाय (Computer Operator and Programming Assistant Trade) में आई.टी.आई उत्तीर्ण (Affiliated to NCVT/SCVT) साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	10	06	01	0	02	01	1 वर्ष
सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी)		निर्धारित व्यवसाय (SECRETARIAL ASSISTANT-English) में आई.टी.आई उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT) साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	05	04	0	0	01	0	1 वर्ष
पेंटर(जनरल)		10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा पेंटर व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT)	30	14	04	02	08	02	1 वर्ष
ड्राइवर मेकेनिक (Light Motor Vehicle)	सह	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा ड्राइवर सह मेकेनिक(Light Motor Vehicle) व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT)	05	04	0	0	01	0	1 वर्ष
मेकेनिक रिपेयर मैटेनेंस व्हीकल	एंड ऑफ	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा मेकेनिक रिपेयर एंड मैटेनेंस ऑफ व्हीकल(light vehicle/heavy vehicle)व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT)	10	06	01	0	02	01	1 वर्ष
सी.एन.सी प्रोग्रामर ऑपरेटर	सह	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल/मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित व्यवसाय-सी.एन.सी मशीनिंग /मशीनिस्ट/टर्नर व्यवसाय में आई.टी.आई उत्तीर्ण(Affiliated to NCVT/SCVT)	10	06	01	0	02	01	1 वर्ष

नोट:-अधिसूचना में दर्शाए गई ट्रेडवाइज प्रशिक्षुओं की सीटों की संख्या अनंतिम है एवं चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

[Signature]
11/11/2022
H.C.R.

2. आयुसीमा-

- 2.1 अधिसूचना जारी होने के दिनांक 21.01.2020 को आवेदक ने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 24 वर्ष की आयु पूर्ण न हो।
2.2 अजा/अजजा के अभ्यर्थी को 05 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 03 वर्ष एवं शारीरिक दिव्यांग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की अधिकतम छूट देय है। भूतपूर्व सैनिकों को भी नियमानुसार छूट रहेगी जो कि अधिकतम 10 वर्ष होगी।

3. फीस-आवेदन शुल्क के रूप में रु 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु 70/+ देय GST का भुगतान करना होगा। अनु.जा, अनु.ज.जा, शारीरिक दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देय नहीं है परन्तु पोर्टल शुल्क सभी को देय होगा। फीस Non-refundable होगी।

4. निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु भूतपूर्व सैनिक(Ex. Servicemen), उनके बच्चों तथा आर्मड फोर्स व्यक्तियों के बच्चों हेतु 03 प्रतिशत पद फिटर-02, वेल्डर-01, इलेक्ट्रीशियन-02, पेंटर-01 में आरक्षित रहेंगे एवं अभ्यर्थी को उनके समुदाय की सीटों में से आरक्षण प्रदान किया जाएगा। रेल्वे बोर्ड के पत्र सं.E(MPP)2002/6/10 Dated 31.07.2006(RBE No. 101/2006) के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों में निम्न शामिल हैं:-

1. शान्ति समय के दौरान उन मृत/अक्षम सहित दिवंगत/अक्षम भूतपूर्व सैनिक/ आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे।
2. अवकाश प्राप्त सैनिक/आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे।
3. कार्यरत जवानों/आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे।
4. कार्यरत सैनिक अधिकारी एवं आर्मड फोर्स अधिकारी के बच्चे।
5. भूतपूर्व सैनिक।

5. शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को फिटर, वेल्डर इलेक्ट्रीशियन एवं पेंटर में निम्नानुसार श्रेणी वाले (केवल शारीरिक अशक्त दिव्यांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हैं) पात्र होंगे। दिव्यांगों के लिए आरक्षण नियमानुसार दिया जायेगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध अशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत का साफ उल्लेख होना चाहिए और फोटो मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। दिव्यांग कोटे के लिए निम्नानुसार पद आरक्षित रहेगा। फिटर-02,, वेल्डर- 01, इलेक्ट्रीशियन-02, पेंटर-01 कुल 06 पद। दिव्यांग की ट्रेड वाइज पात्रता निम्नानुसार है- 1- Welder/Electrician/Painter=(a)Hearing impairment-D,HH, (b)Locomotor Disabilities-OL,LC,DW,AAV.2-Fitter =(a)Visual impairment-B,LV, (b)Hearing impairment =D,HH, (c)Locomotor Disabilities-OL,BL,LC,DW,AAV.
B=Blind,LV=Low Vision,D= Deaf,HH=Hard of Hearing,OL=One Leg,BL=Both Legs,LC=Leprosy Cured,DW=Dwarfism,AAV=Acid Attack Victim.

यदि किसी एक कटेगरी में उम्मीदवार नहीं मिलता है तो दूसरी कटेगरी से सीट भर ली जाएगी। दिव्यांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सीटें अलग से आरक्षित नहीं हैं बल्कि दिव्यांग अभ्यर्थी जिस वर्ग का है उसे संबंधित ट्रेड में उसी वर्ग में से आरक्षण दिया जाएगा और गणना में लिया जाएगा।

6. Economically Weaker section(EWS) के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अधतन आय एवं संपत्ति का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। मेरिट के अनुसार चयन होने पर EWS अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त के अधीन होगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अधतन EWS का प्रमाण-पत्र सत्यापन में सही पाया जाए।

7.1-पारिश्रमिक/स्टाईपेन्ड -ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम दरों से नियमानुसार पारिश्रमिक/स्टाईपेन्ड का भुगतान किया जाएगा। स्टाईपेन्ड की देय दर निर्धारित करने के लिए राज्य/जिला के अंतर्गत निर्धारित अप्रेंटिस एक्ट एवं आई.टी.आई संस्थान में लिए गए प्रशिक्षण की अवधि को वृत्तिका की दर के निर्धारण हेतु शामिल किया जाएगा।

W.C.R.
21/11/2020

7.2- चिकित्सा परीक्षण (शारीरिक मानक)-दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गये उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप (Annexure-C) में जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिकृत डाक्टर(राजपत्रित) द्वारा उम्मीदवार के सत्यापित फोटो हस्ताक्षरित व सील मुहर होनी चाहिए। (केन्द्रीय/राज्य सरकार के सहायक सर्जन के पद के नीचे का ना हो।)

8. आवेदन का तरीका-

8.1 इच्छुक पात्र अभ्यर्थी www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर Home Page में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।

8.2 ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास आधार कार्ड नहीं है एवं आधार कार्ड बनाने के लिए नामांकन किया है परंतु नया आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाईन आवेदन करते समय Aadhaar enrolment slip में दर्ज Aadhaar enrolment ID डाल सकते हैं।

8.3 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम, स्वयं की जन्मतिथि, 10वीं,आईटीआई के प्रमाणपत्र एवं अन्य समकक्ष प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी समान होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

8.4 यदि उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए एक से अधिक आवेदन अलग-अलग विवरणों के साथ, भिन्न-भिन्न ई-मेल आई.डी व मोबाईल नंबर के साथ आवेदन करते हैं तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

9. चयन की प्रणाली-

9.1. उम्मीदवारों का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अधिसूचना के अन्तर्गत आई.टी.आई पास उम्मीदवारों की योग्यता सूची (Merit List) बनाई जाएगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नहीं होगी। मेरिट लिस्ट का आधार केवल 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर रहेगा।

9.2. 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना उम्मीदवार द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों, संबंधित बोर्ड के नियम के आधार पर की जाएगी। जिन बोर्ड में प्रत्येक विषय का CGPA दर्शाया जाता है उनके लिए 10वीं में प्राप्त प्रतिशत की गणना के लिए सभी निर्धारित विषयों में प्राप्त ग्रेडों का मिडपॉइंट लिया जायेगा एवं उसके औसत की गणना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विषय के कुल अंक को 100 माना जायेगा।

9.3 यदि दो उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा होगा उसे प्रधानता दी जाएगी। यदि दोनों की जन्मतिथि भी समान हों तो उस परिस्थिति में जिस उम्मीदवार ने पहले दसवी कक्षा पास की है उसे प्रधानता दी जाएगी।

9.4. यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न हो तो वह संख्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति सीटों के मामले में यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों उपलब्ध न हों वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी।

9.5 यदि उपरोक्त बताए तरीके से भी एस.सी./एस.टी उम्मीदवारों की संख्या न भरी जा सके तो रिक्त सीटों को अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS की रिक्त सीटों का उनके उपलब्ध न होने पर भी अनारक्षित द्वारा भरा जाएगा।

M.C.R.
21/11/22

9.6 अपेक्षित एक्ट अप्रेंटिस की संख्या के 1.5 गुणांक के बराबर उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा जिनकी लिस्ट www.mponline.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी एवं email द्वारा सूचित किया जायेगा। यदि इस प्रक्रिया में सीट खाली रह जाती है तो 2nd round verification के लिए ट्रेड व समुदाय वाईज रिक्ति एवं मेरिट के अनुसार बुलाया जायेगा।

9.7 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता/ट्रैवलिंग या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

10. आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

उम्मीदवारों को आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित scanned copy अपलोड करनी होगी।

10.1 SSC(Standard 10th) या समकक्ष परीक्षा की अंकसची।

10.2 प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो (10वीं का प्रमाणपत्र/समकक्ष प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो)।

10.3 NCVT/SCVT द्वारा जारी NATIONAL TRADE CERTIFICATE OR PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE.

10.4 SC/ST/OBC/EWS का जाति प्रमाण पत्र-निर्धारित फारमेट(Annexure-A,B,F)के अनुसार जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। OBC उम्मीदवारों को Non Creamy Layer का भी प्रमाण पत्र देना होगा, जो 01.04.2019 या उसके बाद का जारी हो।

10.5 DISABILITY CERTIFICATE- निर्धारित प्रारूप(Annexure-D)के अनुसार जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

10.6 DISCHARGE CERTIFICATE/SERVING CERTIFICATE-भूतपूर्व सैनिकों कोटे के विरुद्ध आवेदन करने पर निर्धारित प्रारूप में DISCHARGE CERTIFICATE/SERVING CERTIFICATE अपलोड करना होगा।

10.7 12th PASS CERTIFICATE(FOR COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT TRADE AND SECRETARIAL ASSISTANT TRADE)

11. RDAT की वेबसाइट पर पंजीयन की प्रक्रिया:-

जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है, उन सभी अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर जाकर APPRENTICES MENU के अंदर Apply for apprenticeship ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर RDAT MADHYA PRADESH(BHOPAL) Region पर जाकर CHIEF WORKSHOP MANAGER, COACH REHABILITATION WORKSHOP, NISHATPURA, BHOPAL के लिए apply करना होगा जिसके बाद पंजीयन संख्या प्राप्त होगी जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

12. दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक दस्तावेज:-

12.1 मद क्रमांक 10 में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि।

12.2 जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है, उन सभी अभ्यर्थियों को शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक(राजपत्रित, जो केन्द्रीय/राज्य चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचे न हो) द्वारा अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4(समय-समय पर संशोधित)के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा(Annexure-C)। चिकित्सा परीक्षण के मापदंडों हेतु कृपया Annexure-E का अवलोकन करें।

Handwritten signature and date:
21/11/2020
5

12.3 दस्तावेजों के सत्यापन के समय स्क्रीनिंग के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार के प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन प्रमाण पत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का साफ उल्लेख होना चाहिए। (Annexure-A)

12.4 दस्तावेजों के सत्यापन के समय स्क्रीनिंग के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण जो दिनांक 01.04.2019 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो वह Annexure-B प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। EWS के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार के प्रारूप Annexure-G में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो 01.04.2019 को या उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

12.5 चार पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

12.6 आधार कार्ड, फोटो सत्यापित पहचान पत्र, आर.डी.ए.टी भोपाल का पंजीयन क्रमांक (मद क्रमांक 11 देखें), ऑनलाइन आवेदन का printout एवं Fees receipt.

➤ फोटो सत्यापित पहचान पत्रों की सूची:-

1. आधार कार्ड
2. मतदाता पहचान पत्र
3. ड्राइविंग लाईसेंस
4. पासपोर्ट
5. पैन कार्ड
6. बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित फोटोयुक्त पासबुक

13. होस्टल/आवास प्रदान नहीं किया जायेगा। तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

14. एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स पास करने के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। यह केवल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

15. ट्रेनिंग का करार- ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि वह अभी नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लायर के साथ अप्रेंटिसिप का करार करना होगा।

15.1 यदि प्रशिक्षु एक्ट अप्रेंटिस अनुबंध के नियम एवं शर्तों का पालन करने में असमर्थ होता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा और प्रशिक्षु/जमानतदार को अप्रेंटिस सलाहकार द्वारा निर्धारित उसके प्रशिक्षण के ऊपर खर्च राशि का भुगतान करना होगा।

16. जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का किसी कारण से आर.डी.ए.टी./भोपाल में contract generate नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि उसने प्रशिक्षण ज्वाइन कर लिया है तो उसे प्रशिक्षण से हटा दिया जाएगा।

17. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जायेगा। प्रशिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महा निदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

18. उम्मीदवार के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष

21/11/20
6

में गलत/झूठी सूचना दी है, तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जायेगा।

19. प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा एवं यदि उक्त प्रशिक्षुओं के चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में कोई नीतिगत परिवर्तन मुख्यालय आदि से प्राप्त होते हैं तो चयन का मापदण्ड तदनुसार अपनाया जायेगा।
20. आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दर्ज किया गया मोबाईल नंबर, ई-मेल आई.डी दोनों स्वयं का हो एवं वैध हो क्योंकि उम्मीदवार से सभी प्रकार का संप्रेषण ई-मेल के माध्यम से होगा एवं माना जाएगा कि वह अभ्यर्थी ने पढ़ लिया है। नियमित रूप से ई-मेल आई.डी की जाँच करना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। दूसरे के नाम के मोबाईल नंबर/ई-मेल आई.डी से आवेदन न करें अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

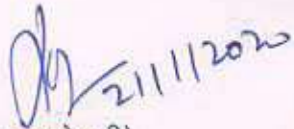
उम्मीदवार Online माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से कोई त्रुटि हुई हो, तो सडिपुका प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, RDAT भोपाल पंजीयन का पंजीयन क्रमांक सहित प्रिंटआउट, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता (10th, 12th का अंकपत्र/प्रमाणपत्र, consolidated ITI मार्कशीट), जन्म तिथि के प्रमाणपत्र व सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य वैध पहचान पत्र, आरक्षण के दावे हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र, शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक(राजपत्रित, जो केन्द्रीय/राज्य चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचे न हो) द्वारा अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4(समय-समय पर संशोधित)के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं ऑनलाईन आवेदन की मूल प्रति के बिना किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

चयनित उम्मीदवारों की सूची पन्ने की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in एवं www.mponline.gov.in में अपलोड की जायेगी तथा सभी प्रकार के पत्राचार ई-मेल द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी प्रकार का पोस्टल पत्राचार नहीं किया जायेगा।

टीप:-आवेदन करने के अंतिम दिनों में वेबसाइट ओवरलोड से बचने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समयसीमा के पहले अपना आवेदन ऑनलाईन सफलतापूर्वक भरें। यदि ऑनलाईन फार्म भरते समय किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न होता और समयसीमा निकल जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

संलग्न-आवश्यक नियम और निर्देश-Annexure-G एवं
प्रारूप Annexure-A TO F


(जे.आर.कोठारी)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक
सडिपुका/भोपाल

Form of certificate to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes in support of his claim.

Form of Caste certificate

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari.....son/Daughter
of.....of village/town.....in district/Division/Division.....
.....of the State/Union
Territory..... belongs to the
Caste/Tribe which is recognised as Scheduled Caste under:
Scheduled Tribe

- The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
- The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
- The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
- The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.*
- (as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976).
- The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.*
- The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.*
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.*
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.*
- The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.*
- The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.*
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste Order, 1968.*
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.*
- The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.*
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.*
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.*

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Shrimati..... father/mother of Shri/Shrimati/Kumari..... Of village/town.....in District/Division.....of the State/ Union Territory.....who belongs to the caste/tribe which is recognised as a Scheduled Caste

Scheduled Tribe

in the State/Union Territory..... issued by the
..... (name of prescribed authority) vide their
No..... dated.....

Signature.....
Designation.....
(with seal of Office)

Place..... State
Union Territory

Date.....

*Please delete the words which are not applicable

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of
_____ of village/town _____
in District/Division _____ in the State/Union Territory
_____ belongs to the _____ community
which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social
Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated
_____. * Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her family
ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the
_____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does
not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the
Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 - Estt.(SCT)
dated 8.9.1993**.

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.

Dated:

Seal

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**-. As amended from time to time.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

SCHEDULE - II (See rule 4)

Medical Fitness Certificate for Standard of physical fitness for Act
Apprentice Training in West Central Railway, CRWS, Bhopal

1. Name of the Candidate :

2. Father Name :

3. Category :

4. Date of Birth/Age :

5. Trade & Name of Workshop/Unit :

6. Permanent identification marks 1.

2.

Recent Passport
Size photo as
paste in
application form
photo to be
attested by
Medical Officer

S.N	Standard of physical	Observation of Medical Officer
1	A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He /She should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him/her unfit for service or endanger the health of the public. He /She should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.	
2	Height, Weight and Chest :- Candidate should satisfy the following minimum standards, namely:- Height <u>137 Centimetres</u> ; Weight <u>25.4 kilograms</u> ; Chest expansion should not be less than <u>3.8 centimetres</u> irrespective of size of chest: Provided that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted), to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act, 1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.	
3	EYES :- There should be no evidence of any morbid condition of either eye of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation of recurrence. Standard of Vision (A) Visual acuity :- * Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo Apprenticeship Training, except in the following seventeen trades, namely:- (1) Electrician aircraft (2) Watch and Clock Mechanic (3) Driver-cum-fitter (4) Surveyor (5) Process cameraman (6) Sirdar (7) Rigger (Engineering & Chemical Industry) (8) Shortfirer / Blaster (Mines) (9) Mate (Mines) (10) Mechanic Radio and Radar Aircraft (11) Ceramic Moduler (12) Ceramic Caster (13) Ceramic Kiln Operator (14) Ceramic Press Operator (15) Ceramic Modeller (16) Ceramic Decorator (17) Optical Worker. *Substituted vide GSR 221 dated 21st April 1993. (B) Colour Vision: -Not required	
4	EARS :- Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted	

Should be printed on single page at both sides.

5	SKIN :- There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.	
6	SPEECH :- Speech should preferably be without impediment.	
7	ALIMENTARY SYSTEM :- (1) Candidates should have sufficient number of natural teeth (in Healthy state) for mastication. (2) Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area. (3) Liver should not be palpable or tender. (4) There should be no oral sepsis. (5) There should be no sugar in the urine. (6) Candidates should not be suffering from haemorrhoids, fissures in and testis anal hernia or bubonocoele or ischio-rectal abscess or hydrocele.	
8	CARDIO VASCULAR SYSTEM :- (1) Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic. (2) Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be rejected. (3) There should be no sign of any cardio-vascular disease.	
9	RESPIRATORY SYSTEM :- Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.	
10	GENITO URINARY SYSTEM :- There should be no evidence of genitourinary disease or any abnormality.	
11	SKELETAL SYSTEM :- (1) The function of all limbs should be within normal limits. (2) There should be no evidence of serious deformity of the spinal Column or of the extremities.	
12	NERVOUS SYSTEM :- There should be no evidence of any disease of nervous system or of any mental disease.	
13	GLANDULAR SYSTEM :- There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.	

Above medical fitness certificate should be signed by Government authorised Doctor (Gaz.), not below rank of Asst. Surgeon of Central State Hospital.

Signature of Medical Officer :

Name of Medical Officer :

Registration No. :

Designation :

Name of Central /State Govt. Hospital :

Seal of Medical Officer signing the certificate:

Should be printed on single page at both sides.

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (PWD)
NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
DISABILITY CERTIFICATE

Certificate No. _____ Date _____

1. This is to certify that Smt. / Shri / Kum* _____ age _____ Male /
 Son / daughter of Shri _____
 Female / having identification marks as below _____ is
 suffering from Permanent disability of following category.

(Paste here recent
 passport size
 colour
 photograph of the
 Applicants of
 size 4 cm x 5 cm)

A. Loco motor or cerebral palsy

- (i) BI-Both legs affected but not arms
 (ii) BA-Both arms affected
 (iii) OL-one leg affected (right or left)
 (iv) Ataxic
 (v) OA-One arm affected (right or left)
 (vi) BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
 (vii) MW - Muscular weakness and limited physical endurance.

(a) Impaired reach. (b) Weakness of grip.

(a) Impaired reach. (b) Weakness of grip.

(a) Impaired reach. (b) Weakness of grip. (c) Ataxic

B. Blindness or Low Vision

(i) B-Blind. (ii) PB-Partially Blind.

C. Hearing Impairment

(i) D-Deaf. (ii) PD- Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this
 case is not recommended/is recommended after a period of _____ year _____ months.

3. Percentage of disability in his/her case is _____ Percent.

4. Smt. Shri / Kum* _____ meets the following physical requirement for discharge of his/her
 duties:

(i)	L-can perform work by manipulating with fingers	Yes	No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes	No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes	No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes	No
(v)	B-can perform work by bending	Yes	No
(vi)	S-can perform work by sitting	Yes	No
(vii)	ST-can perform work by standing	Yes	No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes	No
(ix)	SE-can perform work by seeing	Yes	No
(x)	H-can perform work by hearing / speaking	Yes	No
(xi)	RW-can perform work by reading and writing	Yes	No

(Signature of Doctor)

Name:

Registration No.

Member, Medical Board
Board

(Signature of Doctor)

Name:

Registration No.

Member, Medical Board

(Signature of Doctor)

Name:

Registration No.

Member/Chairperson, Medical

*Please delete the words which are not applicable

Place

Date

Counter signature of the Medical
 Superintendent CMO/Head of Hospital (with seal)

Note

(i) according to the persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and full participation) Rules, 1996 notified on 31.12.1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), authorities to give disability Certificate will be a Medical Board duly constituted by the Central or the State Government. The State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members out of whom at least one shall be a specialist in the particular field for assessing locomotor, hearing and speech disability, mental retardation and leprosy cured as the case may be.

(ii) The certificate would be valid for a period of 2 years for those whose disability is temporary. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent.

Standard of physical fitness for apprenticeship training under Apprenticeship Act 1961

A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public. He should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.

Height, Weight And Chest

Candidates should satisfy the following minimum standards, namely:-

HEIGHT 137 centimeters, Weight 25.4 Kilogram; Chest expansion should not be less than 3.8 centimeters irrespective of size of chest.

Provide that where a candidate does not satisfy the said minimum standards, but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted), to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act, 1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.

EYES

There should be no evidence of any morbid condition of either eye or the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence.

Standard of Vision

- A Visual acuity. Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo apprenticeship training except in the following seventeen trades, namely:-
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Electrician Aircraft | (2) Watch and Clock Mechanic |
| (3) Driver cum Fitter | (4) Surveyor |
| (5) Process Cameraman | (6) Sirdar |
| (7) Rigger (Engg. & Chem. Industry) | (8) Shortfirer/Blaster (Mines) |
| (9) Mate (Mines) | (10) Mech. Radio & Radar Aircraft |
| (11) Ceramic Modeller | (12) Ceramic Caster |
| (13) Ceramic Kiln Operator | (14) Ceramic Press Operator |
| (15) Ceramic Moulder | (16) Ceramic Decorator |
| (17) Optical worker | |

(b) Colour vision: Not required

(4) EARS

Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.

(5) SKIN

There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.

(6) SPEECH

Speech should preferably be without impediment.

(7) ALIMENTARY SYSTEM

1. Candidates should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication.
2. Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area.
3. Liver should not be palpable or tender.
4. There should be no oral sepsis.
5. There should be no sugar in the urine.
6. Candidates should not be suffering from haemorrhoids, fissures in and testis anal hernia or hydrocele or ischio-rectal abscess or hydrocele.

(8) CARDIO VASCULAR SYSTEM

1. Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic.
2. Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be rejected.
3. There should be no sign of any cardiovascular disease.

(9) RESPIRATORY SYSTEM

Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.

(10) GENITO URINARY SYSTEM

There should be no evidence of genito urinary disease or any abnormality.

(11) SKELETAL SYSTEM

1. The function of all limbs should be within normal limits.
2. There should be no evidence of serious deformity of the spinal column or of the extremities.

(12) NERVOUS SYSTEM

There should be no evidence of any disease of nervous system or of any mental disease.

(13) GLANDULAR SYSTEM

There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.



Annexure - F

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State/Union Territory _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***

- I 5 acres of agricultural land and above;
- II Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport size
attested photograph of
the applicant

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

G. Jeyaraman

आवश्यक नियम और निर्देश

- अधिसूचना में दिए सभी नियम एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आई.टी.आई फेल अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें।
- Engineering graduate एवं Diploma holders आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- आवेदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अपना ऑनलाईन आवेदन, आवेदन करने की अंतिम तिथी से काफी दिन पूर्व भर दें ताकि वेबसाइट पर heavy load/jam के कारण आवेदन submit करने में किसी भी प्रकार की विफलता की संभावना से बचा जा सके।
- दस्तावेज सत्यापन के समय समिट किए गए ऑनलाईन आवेदन की मूल प्रति साथ में लानी होगी।
- यदि आवेदक की स्वयं की वैध ई-मेल आई.डी न हो तो उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व स्वयं की वैध ई-मेल आई.डी बनानी आवश्यक है एवं इसे चयन प्रक्रिया के अंत तक बनाए रखना जरूरी है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनका अधिसूचना जारी होने की तिथी पर 10वीं/आई.टी.आई की परीक्षा का परिणाम awaited है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक(राजपत्रित) द्वारा अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4(समय-समय पर संशोधित)के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि केवल विज्ञापन के अनुसार ही पात्र उम्मीदवार आवेदन करें। वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ़ लें। यदि उन्हें यह सन्तुष्टी है कि वे आवेदन की योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तथा उनके पास आवेदन के समय सभी वांछित दस्तावेज हैं तो ही वे एमपीआनलाईन के माध्यम से आवेदन करें। उम्मीदवार को अपना विवरण एक बार में ही भरना है। वह इसे पूर्ण रूप से भरने के उपरांत Preview देख लें। डाटा ठीक से भरने के लिए Reset option उपलब्ध है। फार्म Submit करने के पश्चात एक रजिस्ट्रेशन संख्या आवंटित की जाएगी जिसे नोट कर लें। भरे हुए आवेदन का Print out निकालकर अपने रिकार्ड और इस कार्यालय के भविष्य के प्रयोग के लिए अवश्य संभाल कर रखें। यह भी नोट करें कि एक बार Submit option क्लिक करने के बाद आवेदक अपने बायोडाटा का Preview या Reset नहीं कर सकता है।
- फोटो और हस्ताक्षर दिये गये फॉर्मेट पूर्ण कर स्कैन करें, परन्तु इस JPEG इमेज का साइज 150-200KB से अधिक न हो। फोटो नवीनतम होना चाहिए।
- आवेदक का बायोडेटा, उनके पिता से संबंधित जानकारीयाँ व अन्य सभी जानकारीयाँ वही होनी चाहिए जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में अंकित हो। 10वीं, आई.टी.आई, आधार कार्ड में स्वयं का एवं पिता का नाम समान होना चाहिए।
- आवेदक के क्षेत्र के डाकघर का पिन कोड सही होना चाहिए।
- मोबाईल नं., ई-मेल आईडी दोनों स्वयं का होना चाहिए एवं वैध होना चाहिए।
- दो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पहचान चिन्ह।
- CBSE बोर्ड से पास हुए उम्मीदवारों को दसवीं में प्राप्तांक को CGPA से formula के तहत प्रतिशत में बदल कर भरना होगा।
- आई.टी.आई पास उम्मीदवार को सभी सेमेस्टर्स में प्राप्त अंको के कुल प्राप्तांक दर्शाना आवश्यक होगा। यदि उम्मीदवार किसी भी एक सेमेस्टर के अंक नहीं दर्शाता है तो ऐसे आवेदन रद्द कर दिए जायेंगे।
- अपूर्ण भरे हुए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
- सभी प्रकार के पत्राचार आवेदक के ई-मेल आईडी के माध्यम से किये जायेंगे। नियमित रूप से ई-मेल जाँचना आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

मैंने उपरोक्त दिये गये सभी निर्देश पढ़ लिये हैं एवं मैं इनसे सहमत हूँ।

